दिनांकः 23.02.2018 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में वार्षिक योजना 2017–18 के व्यय एवं बैंकों में जमा की जाने वाली राशि की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

---

1. कृषि विभाग के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय 2402.958 करोड़ रूपये के विरूद्व योजना लोक वित्त समिति/पूर्व में स्वीकृत/स्थायी वित्त समिति के द्वारा 1938.7059 करोड़ रूपये की योजना अनुशंसित है। अभी तक 1901.3558 करोड़ रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत हो सका है एवं कुल आवंटित राशि 1396.5156 करोड़ रूपये जिसके विरूद्व दिनांकः 23.02.2018 तक मात्र 797.8209 करोड़ रूपये की निकासी कोषागार से की गई है, जो कुल उद्व्यय का 33.204 प्रतिशत है, जिस पर चिंता व्यक्त की गई।

2. कृषि निदेशालय के अंतर्गत योजनाओं का कुल उद्व्यय 1844.5695 करोड़ रूपये के विरूद्व लोक वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुशंसित राशि 1517.1121 करोड़ रूपये है एवं कुल स्वीकृत्यादेश निर्गत की राशि 1489.8076 करोड़ रूपये है एवं कोषागार से निकासी की गयी राशि 545.5098 करोड़ रूपये है, जो कुल उद्व्यय का 29.574 प्रतिशत है।

2.1 बैठक में उपस्थित प्रभारी बजट पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि ऋण पर ब्याज से संबंधित आवंटन का विपत्र ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस मद में निकासी की गयी राशि अग्रिम के रूप में की गयी है। निदेश दिया गया कि बजट पदाधिकारी इस संबंध में वित्त विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अनुमति प्राप्त करने के लिए संचिका उपस्थापित करें।

2.2 निदेशक, बामेति द्वारा बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में कौशल विकास मिशन में 1.5 करोड़ रूपये की अग्रिम निकासी का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है।

2.3 प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजना है। निदेश दिया गया कि निदेशक, बामेति से सम्पर्क कर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करें।

3. कृषि शिक्षा कोषांग से संचालित योजनाओं का कुल उद्व्यय 159.00 करोड़ रूपये के विरूद्व लोक वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा कुल 114.0638 करोड़ रूपये स्वीकृत है एवं कुल स्वीकृत्यादेश निर्गत की गयी राशि 110.858 करोड़ रूपये है। उक्त योजना का कोषागार से की गयी निकासी 110.0265 करोड़ रूपये है, जो उद्व्यय का 69.198 प्रतिशत है। कृषि शिक्षा हेतु कुल 53.25 करोड़ रूपये की योजना प्रक्रियाधीन है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कृषि शिक्षा कोषांग की तीन योजनाओं का प्राक्कलन पुनरीक्षण पर निगरानी विभाग का मंतव्य/Vetting नहीं प्राप्त होने के कारण स्वीकृत नहीं हो पाया है। श्री अनिल कुमार झा, उप निदेशक (शष्य) को निगरानी विभाग से सम्पर्क कर क्लीयर कराने का निदेश दिया गया।

4. उद्यान निदेशालय के अंतर्गत 247.4508 करोड़ रूपये के विरूद्ध लोक वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुशंसित राशि 155.88 करोड़ रूपये है एवं कुल स्वीकृत्यादेश निर्गत की राशि 155.88 करोड़ रूपये है एवं कोषागार से निकासी की गयी राशि 43.1475 करोड़ रूपये है। जो उद्व्यय का 17.437 प्रतिशत है।

4.1 निदेशक, उद्यान द्वारा बताया गया कि 73.4722272 करोड़ रूपये कोषागार में चालान द्वारा जमा किया जा चुका है।

5. भूमि संरक्षण निदेशालय अंतर्गत योजनाओं का कुल उद्व्यय 151.748 करोड़ रूपये के विरूद्ध लोक वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुशंसित राशि 151.65 करोड़ रूपये है एवं कुल स्वीकृत्यादेश निर्गत की राशि 144.81 करोड़ रूपये है एवं कोषागार से निकासी की गयी राशि 82.68 करोड़ रूपये है, जो उद्व्यय का 54.487 प्रतिशत है।

6. निदेशक, बामेति ने बताया कि दिनांक 31.03.2018 तक खर्च नहीं होने वाली राशि में से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 2,56,17,51,652 रूपये (दो सौ छप्पन करोड़ सतरह लाख इक्यावन हजार छः सौ बावन रूपये) का चेक हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित किया गया है।

7. निदेशक, बामेति ने बताया कि दिनांक 31.03.2018 तक खर्च नहीं होने वाली राशि में से आत्मा योजना का 21,97,08,921 रूपये (इक्कीस करोड़ संतानवे लाख आठ हजार नौ सौ इक्कीस रूपये) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का 15,10,31,628 रूपये (पन्द्रह करोड़ दस लाख इकतीस हजार छः सौ अठाईस रूपये) तथा फार्म मशीनरी प्रशिक्षण मद में 41,35,200 रूपये (इकतालीस लाख पैंतीस हजार दो सौ रूपये) का चेक दिनांक 06.02.2018 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है।

8. निदेश दिया गया कि सभी निदेशक अपने–अपने निदेशालय से संबंधित योजनाओं का अनुश्रवण प्रतिदिन करें एवं व्यय में तेजी लायी जाय।

(सुनिल कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

ज्ञापांकः–पी0पी0एम0–48/2017 1284 /कृ0, पटना, दिनांक 09-03-2018

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य विपणन पर्षद (वि0), पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) सांख्यिकी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमसा, बिहार,पटना/संयुक्त निदेशक, उद्यान–सह–प्रभारी पदाधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई योजना), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना/उप निदेशक (बीज), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयल पाम मिशन, बिहार, पटना/उप निदेशक, उद्यान–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी बजट, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Tripathi 9/3/18
(धनन्जयपति त्रिपाठी)
निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–पी0पी0एम0–48/2017 1284 /कृ0, पटना, दिनांक 09-03-2018

प्रतिलिपिः– उप निदेशक (शष्य), सूचना/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

Tripathi 9/3/2018
निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।